UPRVUNL

इं0 संजय तिवारी
निदेशक (का0प्रबं0 एवं प्रशासन)

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
8th Floor, Shakti Bhawan Extn.,
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ– 226001
(CIN:U40101UP1980SGC005065)

पत्रांक सं0:3683/निदे0(का0प्रबं0एवंप्रशा0)/उ0नि0लि0/कैम्प/2018 दिनांक: 26 अक्टूबर , 2018

मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक
अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज तापीय परियोजना
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
सोनभद्र/झांसी/कासिमपुर अलीगढ़
महाप्रबन्धक पनकी तापीय परियोजना
पनकी–कानपुर।

विषय : स्थानान्तरण हेतु अधिकारियों कार्मिकों के मुख्यालय पर आने के सम्बन्ध में।

यह संज्ञान में आया है कि स्थानान्तरण सत्र 2018–19 के समाप्त हो जाने के पश्चात भी प्रायः नित्य ही उत्पादन निगम लि0 की परियोजनाओं एवं मुख्यालय पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी सीधे प्रबंध निदेशक महोदय से अपने इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण करवाने या पूर्व में किए गए अपने स्थानान्तरण को निरस्त/संशोधित करवाने के सम्बन्ध में भेंट करते रहते है तथा प्रत्यावेदन देते रहते हैं। प्रबन्ध निदेशक महोदय ने इस प्रवृत्ति पर कठोर अप्रसन्नता व्यक्त की है तथा इस प्रकार की प्रवृत्ति पर रोक लगाने हेतु निदेशित किया है।

उत्पादन निगम लि0 की स्थानान्तरण नीति वर्ष 2018–19 जो कि स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों का मार्ग दर्शक सिद्धांत में उल्लिखित है कि :–

प्रस्तर 3.4 स्थानान्तरण की कट आफ डेट 31 मार्च मानी जायेगी तथा सामान्यतयः स्थानान्तरण यथासम्भव 31 मई तक किये जायेगें।

प्रस्तर 8.4 के अनुसार स्थानान्तरित कार्मिक यदि स्थानान्तरण आदेशों के विरूद्ध दबाव डालने का प्रयत्न करेंगे तो इसे सरकारी कर्मचारी अधिनियम–56 के नियम–27 का उल्लंघन मानते हुए कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी तथा स्थानान्तरण आदेशों की अवहेलना करने के दोषी पाये गए अधिकारी/नियन्त्रक अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अलावा उ0प्र0 सरकारी सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते निलम्बन किया जा सकता है।

इं0 संजय तिवारी
निदेशक (का0प्रबं0 एवं प्रशासन)

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
8th Floor, Shakti Bhawan Extn.,
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ– 226001
(CIN:U40101UP1980SGC005065)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत यह निदेशित किया जाता है कि अपने अधीनस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को यह निर्देशित करें कि वे अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में या अपने किए गए अपने स्थानान्तरण के विरूद्ध प्रत्यावेदन केवल परियोजना प्रमुख के माध्यम से ही अपने प्रत्यावेदन मुख्यालय पर प्रेषित करें अन्यथा की दशा में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी, उनके नियंत्रक अधिकारी एवं उनके परियोजना प्रमुख को मुख्यालय के निर्देशों की अवज्ञा के लिए उत्तरदायी माना जाएगा एवं यथोचित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

26/X/18
(इं0 संजय तिवारी)
निदेशक (का0प्रबं0 एवं प्रशा0)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (तकनीकी/परि0 एवं वाणिज्य/वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (मा0सं0)/तापीय परिचालन/पीपीएम/कोल ब्लाक/जानपद नव–परियोजना/चिकित्सा/पर्यावरण एवं सुरक्षा/आर0 एण्ड एम0/ईंधन/वाणिज्य/प्रगति परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।